रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 1994/वैशाख 6, 1916

No. 180] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 1994/VAISAKHA 6, 1916

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1994

सा. का. नि. 414(अ):—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार जवाहर लाल नेहरू पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनायी गई तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट की गयी "जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कामगार (आचार) संशोधन विनियमावली, 1994" को अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर.-12016/47/93-पी. ई. 1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाता है; अर्थात्:—

(1) संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रवर्तन :—

इन विनियमों का नाम जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कामगार (आचार) विनियमावली 1994 है। ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) विनियम का मूल: नाम जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कामगार (आचार) विनियम है और विनियम में जहां कहीं भी "न्हावा शेवा" शब्द आएं हैं, उनके स्थान पर "जवाहर लाल नेहरू" होंगे।

(3) विनियम 3 के उप विनियम (1) के नीचे एक टिप्पणी जोड़ दी जाए:—

"निम्नलिखित कार्य और चूक को कदाचार माना जाएगा :—

(क) अपने से किसी वरिष्ठ के किसी कानून सम्मत और उचित आदेश को जानबूझ कर अनधीनता या अवज्ञा चाहे वह अकेले या दूसरे के साथ किया गया हो;

(ख) नियोक्ता के कार्य या सम्पत्ति से संबंधित चोरी, धोखाधड़ी या बेईमानी;

(ग) नियोक्ता के माल या सम्पत्ति को जानबूझ कर क्षति या हानि;

(घ) किसी प्रकार का घूस अथवा अवैध परितोषण आदि लेना या देना;

(ङ.) बगैर छुट्टी के लिए आदतन अनुपस्थित रहना या दस दिन से अधिक अवधि तक बगैर छुट्टी लिए अनुपस्थित रहना;

(च) आदतन देर से कार्य पर आना;

(छ) स्थापना पर लागू किसी कानून को आदतन तोड़ना;

(ज) स्थापना में कार्य घंटों के दौरान दंगा या अनुचित व्यवहार या अनुशासन के विरुद्ध कोई कार्य;

(झ) कार्य के प्रति आदतन उपेक्षाभाव रखना या उपेक्षा बरतना;

(ट) हड़ताल करना, जिसमें धीमे काम करो, कलम रोको, औजार रोको आदि भी शामिल हैं अथवा किसी कानून या कानून की शक्ति रखने वाले नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दूसरों का उकसाना;

(4) (i) विनियम 4 में उप विनियम (1), (2) और (3) हटा दिए जाएंगे ।

(ii) उप विनियम (4) में "प्रचार करना या अन्यथा हस्तक्षेप करना या उस संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करना या" और इसके नीचे का स्पष्टीकरण हटा दिया जाएगा ।

(iii) उप विनियम (5) का खण्ड-2 हटा दिया जाएगा ।

पाद-टिप्पणी:— मूल विनियम भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के अन्तर्गत सा. का. नि. सं. 12 (अ) द्वारा 6 जनवरी, 1988 को प्रकाशित हुए ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 1994

G.S.R. 414(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (conduct) Amendment Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016|47|93-PE.I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees for Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following Regulations namely :—

(1) Short title, Commencement and Application.—These Regulations may be called the JNPT Employees (Conduct) Regulations 1994. They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

(2) The original title of the Regulations shall be called the JNPT Employees Conduct Regulations and wherever the words "Nhava Sheva" appear in the body of Regulations, the same shall be replaced as "Jawaharlal Nehru".

(3) A note may be added below Sub Regulations (1) of Regulations 3 :—

"The following acts and omissions shall be treated as misconduct :—

(a) wilful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with others, to any lawful and reasonable order of a superior ;

(b) theft, fraud or dishonesty in connection with the employer's business or property ;

(c) wilful damage to or loss of employer's goods or property ;

(d) taking or giving bribes or any illegal gratification ;

(e) habitual absence without leave or absence without leave for more than 10 days ;

(f) habitual late attendance ;

(g) habitual breach of any law applicable to the establishment ;

(h) riotous or disorderly behaviour during working hours at the establishment or any act subversive of discipline ;

(i) habitual negligence or neglect of work ;

(j) striking work including resorting to go-slow, pen down, tool down, etc. or inciting others to strike in contravention of the provisions of any law, or rule having the force of law.

(4) (i) In Regulation 4 Sub Regulation (1), (2) and (3) shall be deleted.

(ii) In Sub Regulation (4) the words "canvass or otherwise interfere or use his influence in connection with or" and explanation below it shall be deleted.

(iii) Clause 2 of Sub Regulation (5) shall be deleted.

******

Footnote :

Principal Regulations were published in the Extraordinary issue of the Gazette of India, vide G.S.R. No. 12(E) dated 6th January, 1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994